

17/12  
2020

फायली पेशा हउं अखी वक्त प्राणी एवं  
पेशेकार लरकार उपान्धित। पेशेकार लरकार  
जाया प्रस्तुत नही काना यूर हत ह। वरल  
प्रकार उमाय पस्त खुनी गइ।

साक्षी विवरण प्रकार इस प्रकार है कि  
प्राणी ने प्राणी पर कान्हा स्थान 128  
बाज० ले० र० एकर इस आशय का प्रस्तुत किया  
कि ग्राम सोमपुरा व० ह० दोपुली में प्राणी

2020  
00427

-----  
मामा

(श्याम सुन्दर विश्वादे)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

के स्वामित्व एवं श्रावणी की आराजी नम्बर 495/695 रकम 1.00 हे. लिखित है, जिले के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर की तरफ बिलागाम सरकारी जमीन एवं दक्षिण की तरफ बाली बनी हुई है। सभी तरफ सरकारी जमीन एवं बाली होने के कारण लोगों ने गजायत कब्जा कर रखा है एवं सीमा संकषी विवाद आये दिन होते रहते हैं। प्राची आराजी जमीन के श्रावणी तरफ पल्लरगढी कराना चाहता है, जिले सीमा चिन्ह लग जाने से हमेशा के लिए विवाद समाप्त हो जायेगा। अतः प्राची की आराजी की पल्लरगढी किए जाने के आदेश दिये जायेंगे।

2020  
00427B

प्रकार दर्ज रजिस्टर किया जाकर विवर्ती को जरूर गोरीय तालुका किया गया। विवर्ती की ओर से वेरिफाई सकार में जवाब प्रस्तुत नहीं का लिये वहाँ सब विवेक करने से बहुत उमय पर पुनी मन्त्र हमने परफर्मी का अवलोकन कर बहुत उमय पर पर गहनता से मगन किया। प्रस्तुत जमावर्ती नकल गुाम सगुमपुरा अनुगत श्रावणी नं. 85 में अखित आराजी नम्बर 495/697 रकम 1.00 हे. प्राची के श्रावणी में दर्ज है। अतः प्राची का प्राचीन पर अन्तगत धाम 128 राज. ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाकर प्राची की गुाम सगुमपुरा पर हो दोसुनी से लिखित आराजी नम्बर 495/697 रकम 1.00 हे. अमि की बिना किसी के कब्जे से दरमन्दाजी फिर सेटलमेंट नम्बरो अनुगत पल्लरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पल्लरगढी शुल्क 1000.00 रुपये निश्चयित किया जाता है जो प्राची वहन करेगा। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौडगढ को लिखा जाये कि पक्षकारों को लिखित सूचना देकर निपमाना पल्लरगढी की जाये एवं पालन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। निर्णय लिखाया जाकर लरे इजलास सुनाया गया। परफर्मी पंखल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(श्याम सुन्दर विश्वादी)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी